mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

ई-मेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/समर्थन मूल्य/248/4085 भोपाल,दिनांक 5/01/2024

प्रति,

1 संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय __________ (समस्त)

2 सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति__________ (समस्त)

विषयः-गेहूं की स्टॉक सीमा के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 8/12/2023

संदर्भः- प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र क्रमांक/690/पीएसफूड/2023 दिनांक 22/12/2023

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 8/12/2023 की प्रति संलग्न कर कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुये है सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

राज्य शासन के आदेश अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराएं।

संलग्न :-उपरोक्तानुसार

05/01/24

संयुक्त संचालक
मप्रराज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय भोपाल

क्रमांक/ 690/F5/09/2023 | भोपाल, दिनांक 22/12/2023

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय: गेहूं स्टॉक सीमा के सम्बंध में भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र दिनांक 8 दिसम्बर 2023.

संदर्भ- भारत सरकार का पत्र क्रमांक No.14-8/2023-Py-III(E.384090) नई दिल्ली, 14 दिसम्बर 2023.

---o---

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्रानुसार गेहूं की स्टॉक सीमा में संशोधन के सम्बंध में दिनांक 8 दिसम्बर 2023 को राजपत्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त संबंधितों को निर्देशित करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उमाकांत उमराव
प्रमुख सचिव
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भोपाल मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/690A/F5/09/2023 | भोपाल, दिनांक 22/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल
2. आयुक्त म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मण्डी बोर्ड), किसान भवन भोपाल ।
3. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रमुख सचिव
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भोपाल मध्यप्रदेश

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. Mail/3429 दि. 26/12/2023
शाखा Add (नियमन)

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
क्र. 620 दिनांक 27/12/23
शाखा JD (नियमन)
निज सहायक अपर संचालक

JD(S.O.) 611
29/12/2023

संदीप जी
सभी आं.का. व मंडियों को भेजना है
29/12/2023

4/2023

No.14-8/2023-Py-III (E.384090)
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
***

कृषि भवन, नई दिल्ली।
दिनांक 14-12-2023

To,

The Principal Secretary/Secretary(Food)/State Nodal Officer (Wheat Stock Portal),
All States and UTs

Subject: Revision of stock limits of wheat -regarding.

Sir,

I am directed to refer to the above-cited subject and to say that as part of continued efforts to moderate the prices of wheat, the Central Government has decided to revise the Wheat Stock limit vide Gazette notification order dated 08.12.2023(Copy enclosed). Respective legal entities shall declare the stocks position on the portal (https://evegoils.nic.in/wsp/login) of the Department of Food and PD and in case the stocks held by them are higher than the prescribed limits, then they shall bring the same to the prescribed stock limits within 30 days of issue of this notification.

2. It is reiterated that no part of the stocks held by a processor unit should be sold in the open market.

3. Further, respective entities should declare the wheat stock level every Friday. Non-compliance of an order will attract punitive action under the Essential Commodities Act, of 1955.

Encl: As above

आपकी विश्वासी,

(मोहन लाल)
अवर सचिव (नीति.III)

Copy to,

1. CMD, FCI Hqrs, New Delhi
2. QCC, DFPD
3. NIC, DFPD: With a request to upload Gazette notification on the WSL portal and update portal/user manual accordingly.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122023-250580
CG-DL-E-12122023-250580

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5063] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2023/अग्रहायण 20, 1945
No. 5063] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2023/AGRAHAYANA 20, 1945

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5292(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र में प्रकाशित खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के आदेश असाधारण, भाग (II) धारा-3, उप-धारा (ii) में दिनांक 12 जून, 2023 के का. आ. सं. 2566 (अ) के माध्यम से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त आदेश में, पैराग्राफ 2 (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2 (i) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित स्टॉक सीमाओं के साथ दिनांक 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए गेहूं:

- व्यापारी/थोक विक्रेता : 1000 टन;
- रिटेलर : प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 5 टन।
- बिग चेन रिटेलर: प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 टन और उनके सभी डिपुओं पर 1000 टन
- प्रोसेसर्स : मासिक स्थापित क्षमता का 70% को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके

[फा. सं. 3/1/2007- नीति -III]

ऋचा शर्मा, अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र में आदेश संख्या सा.का.नि.104(अ), दिनांक 15 फरवरी, 2002 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद आदेश संख्या सा.का.नि.490(अ) दिनांक 16 जून, 2003 और का.आ. संख्या 1373(अ) दिनांक 29 अगस्त, 2006, का.आ. संख्या 297(अ) दिनांक 27 फरवरी 2007, का.आ.संख्या 1488(अ) दिनांक 31 अगस्त, 2007 और का.आ. संख्या 2566(अ) दिनांक 12 जून, 2023 और का.आ. संख्या 4074(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 8th December, 2023

S.O. 5292(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following amendment in the order of the Government of India in the Department of Food and Public Distribution published in the Gazette of India, Extraordinary, Part(II) Section-3, Sub Section(ii) vide number S.O. 2566(E) dated the 12th June, 2023, namely

In the said Order, Paragraph 2(i) shall be replaced as under:

"2(i) Wheat for a period up to 31st March 2024 with following stock limits for all States and Union Territories:

- Traders/Wholesalers: **1000 MT;**
- Retailers: 5 MT for each Retail outlet.
- Big Chain Retailers: **5 MT** for each outlet and **1000 MT** at all their depot.
- Processors: 70% of **monthly installed capacity multiplied by remaining months of 2023-24.**

[F. No. 3/1/2007 Py-III]

RICHA SHARMA, Addl. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, vide Order No. GSR 104 (E), dated 15th February, 2002 and subsequently amended vide Order No. GSR 490 (E) dated 16th June, 2003 and S.O. No. 1373 (E) dated 29th August, 2006, S.O. No. 297 (E) dated the 27th February 2007 and S.O. No. 1488 (E) dated the 31st August, 2007 and S.O.2566(E) dated the 12th June 2023 and S.O. No. 4074 (E) dated the 14th September 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications...